

उपरोक्त प्रोफार्मा में सम्पूर्ण विवरण उल्लेखित कर नोटरी से शपथ-पत्र करारकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करें।

शपथ-पत्र

प्रारूप-सी-2

1	2	3	4	5
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण
			न्यायालय का नाम मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
			न्यायालय का नाम एवं आदेश (शौ) की तारीख	अपराध (घों) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण
			अधिकतम आरोपित सजा	
1	राजेन्द्र भारती	दतिया (22)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया आप.प्रकरण क्र. 1260/2014	सुश्री मीनाक्षी शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया निर्णय दिनांक 10-08-2018
2	राजेन्द्र भारती	दतिया (22)	न्यायालय 21 वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एवं एम.एल.ए.) भोपाल विशेष प्र.क्र.(पी.पी.एम.) 130/2018	धाराएं 171-ख, 171-ग, 171-ड, 171-घ मतदाताओं को उत्प्रेरित एवं निर्वाचन में असम्यक असर डाला। न्यायालय 21 वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एवं एम.एल.ए.) भोपाल विशेष निर्णय दिनांक 23-01-2019
3	राजेन्द्र भारती	दतिया (22)	विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एवं एम.एल.ए.) एवं अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर आपराधिक क्र. SCPPS No.05/2023	धाराएं 3(1)(ब)(घ) एस.सी., एस.टी.एक्ट जातिगत अश्लील गालियां देकर साक्ष्य अपमानित या अभिन्नस्त किया जाना। विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एवं एम.एल.ए.) एवं अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर निर्णय दिनांक 21-08-2023
4	राजेन्द्र भारती	दतिया (22)	विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एवं एम.एल.ए.) एवं अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर आपराधिक क्र. SCPPS No.04/2023	धाराएं 294, 506, 195, भ.द.सं. 3(1)(ब)(घ), 3(2)(Va) एस.सी., एस.टी.एक्ट गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी एवं साक्ष्य को प्रभावित करना, जातिगत गालियां देकर साक्ष्य अपमानित या अभिन्नस्त किया जाना। विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एवं एम.एल.ए.) एवं अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर निर्णय दिनांक 05-10-2023

26/10/23
 Narendra Singh Rajpoot
 Public Notary
 Richhra Fatak Datia (M.P.)

(Signature)

राजेश्वर भारती	दरिया (22)	पुलिस थाना कोतवाली के अपराध नं. 662/2022 का अभियोग पर प्रस्तुत नहीं।	धारा 153, 505(1)(b) नं. 2. सं. लोक प्रशानि भंग करने के आशय से भागक केसयूक पीस्ट जारी करना।	अभियोग पर प्रस्तुत नहीं है।	अभियोग पर प्रस्तुत नहीं है।
राजेश्वर भारती	दरिया (22)	पुलिस थाना कोतवाली के अपराध नं. 199/2022 का अभियोग पर प्रस्तुत नहीं।	धारा 153, 505(1)(b), 188 नं. 2. सं. लोक प्रशानि भंग करने के आशय से भागक केसयूक पीस्ट जारी करना एवं आदेश की अवहेलना।	अभियोग पर प्रस्तुत नहीं है।	अभियोग पर प्रस्तुत नहीं है।

शपथ ग्रहिला

नोट:- जिन प्रत्याशियों के कोर्ड श्री अपराधिक प्रकरण उपरोक्त प्रोफार्मा से संबंधित नहीं है, उन्हें शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

Solemnly affirmed before me the
Oath & explained the deponent
26/11/22
Malendra Singh Rajpoot
Public Notary (M.P.)
Dindhira Falak Darla (M.P.)